

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ 109 /2016-2017 दिनांक 30 अप्रैल, 2016

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की वयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 233/XXIV-नवसृजित/16-17(01)/2015 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या 257 XXIV-नवसृजित/16-07(04)/2016 दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के क्रम में उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के निम्नांकित सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे-4600) को उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में प्रवक्ता- संस्कृत (महिला शाखा) के पद पर मौलिक पदोन्नति के फलस्वरूप उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से तैनात/पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	वर्तमान पद एवं विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	04	05	06
1	श्रीमती यशोदा	रा०क०इ०का० जसपुर, उ०सि०नगर	स०अ० हिन्दी	रा०बा०इ०का० कोटाबाग, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
2	डॉ० रीता शुक्ला	रा०क०इ०का० दिनेशपुर उ०सि०न०	स०अ० हिन्दी	रा०बा०इ०का० तल्लारामगढ़, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती किरन जुयाल	रा०क०उ०मा०वि० लालपानी पौड़ी		रा०बा०इ०का० थराली, चमोली	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती इन्दू कोठारी	रा०क०इ०का० बौराड़ी टिहरी		रा०बा०इ०का० गौचर, चमोली	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती रजनी धिल्डियाल	रा०क०उ०मा०वि० अखोड़ी टिहरी	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० कारगी, देहरादून	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती लता पन्त	रा०क०उ०मा०वि० शान्तिपुरी उ०सि०न०	स०अ० हिन्दी	रा०बा०इ०का० भीमताल, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती परमेश्वरी पाण्डेय	रा०क०इ०का० अगस्तमुनि रुद्रप्रयाग	स०अ० हिन्दी	रा०बा०इ०का० खूर्पाताल, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
8	डा० मंजू कपरवाण	रा०क०इ०का० कलालघाटी पौड़ी	स०अ० संगीत	रा०बा०इ०का० बेंतालघाट, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
9	श्रीमती शोभा उनियाल	रा०क०उ०मा०वि० बड़ेथी चुंगी उत्तरकाशी		रा०बा०इ०का० दन्या, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती विनीता जोशी	रा०क०इ०का० कलालघाटी पौड़ी	स०अ० गृह विज्ञान	रा०बा०इ०का० भिवियासैण, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
11	पुष्पा चन्द्र	रा०क०इ०का० भीमताल नैनीताल		रा०बा०इ०का० चौरगलिया, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती चन्द्रकला कार्की	रा०क०इ०का० गंगोलीहाट पिथौरागढ़	स०अ० भाषा	रा०बा०इ०का० गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
13	श्रीमती अनीता रानी शर्मा	रा.उ.मा.वि. वजीराबादी खडखड़ी, हरिद्वार		रा०बा०इ०का० सोमेश्वर, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
14	श्रीमती मधु कुकरेती	रा०क०इ०का० कोटद्वार पौड़ी	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० मासी, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
15	श्रीमती पुष्पा हटवाल	रा०क०इ०का० देवप्रयाग टिहरी	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० बेरीनाग, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
16	कु० निर्मला पंत	रा०क०इ०का० खटीमा उ०सि०न०	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० काण्डा, बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
17	श्रीमती हीरा खण्डूरी	रा०इ०का० मालदेवता देहरादून	स०अ० हिन्दी	रा०बा०इ०का० बाडेछीना, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

2. पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर पदोन्नत शिक्षकों को पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 के नियम-9(2) के तहत अगले तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त उक्त शिक्षकों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

4. उक्त पदोन्नतियां मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं० 1486/एस०एस०/2013 जीवन सिंह घामी व 17 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं० 1487/एस०एस०/2013 लक्ष्मण सिंह खाती व 11 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेंगी।


(बी०एस० नैनी)
प्रभारी अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ० सं० सेवा-2/अराज०/2365-78 /2016-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की विषयवार संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कार्यभार से मुक्त होने एवं पदोन्नति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का विवरण विभागीय ई-पोर्टल पर तत्काल ही अंकित करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में कदापि लापरवाही न बरती जाय।
- (10) सम्बन्धित प्रध्याचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों से निर्मांकित अभिलेखों की पुष्टि होने पर ही पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें-
- (क) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों।
- (ख) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत हों तथा पाँच वर्ष की नियमित तथा सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों।
- (ग) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो प्रस्तावित है और न ही गतिमान है।
- (घ) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका, जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में पदोन्नत हुए हैं, वह मूल रूप में उसी संवर्ग में नियुक्त भी हुए हैं। कोई शिक्षक/शिक्षिका जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में नियुक्त हुए हैं तथा उनकी पदोन्नति निम्न संवर्ग में हुई है, उन्हें किसी भी दशा में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराये।

- (व) इस पदोन्नति आदेश में संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती विद्यालय में स्थानान्तरण या अन्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्तम्भ-3 में अंकित विद्यालय से या संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की सेवा पुस्तिका से उनके संबंध में पुष्टि करने के उपरान्त संबंधित उन्हें कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये।
- (ख) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों में कोई भिन्नता परिलक्षित होती हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक को कार्यभार से मुक्त न करें तथा इसकी सूचना अनिवार्य रूप से निदेशालय को पंजीकृत पत्र से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- (ज) शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ई-पोर्टल पर संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की कार्यभार ग्रहण करने की अंकना तत्काल कराना सुनिश्चित करें।
कृपया उक्त बिन्दुओं पर भली-भांति जांच करने के पश्चात् ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये अन्यथा की स्थिति में संबंधित संस्थाध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (11) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्तर-10 में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने पर ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त किसी प्रकार की समयवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
- (12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।


(यू०डी० गोस्वामी)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।